... हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[...] अहकाम जो इ[...] हुक्म की तामी[...] में जारी हुए
20/01/26	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उप० वास्ते अन्तिम बहस हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली आगामी दिनांक 29.01.26 को पेश हो।	
29-1-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली निर्णित की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

/प्रा0पत्र/2022
दायरा दिनांक 09.09.2022

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(**RAS**)

बउनवान

1. सीताराम आ0 छगनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—प्रार्थी

बनाम

1. जानकीबाई पत्नि सत्यनारायण जाति धाकड निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
2. दिनेश आ0 स्व0 सत्यनारायण जाति धाकड निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
3. बद्रीलाल नाबालिग जर्ये संरक्षक माता जानकीबाई पत्नि स्व0 सत्यनारायण जाति धाकड निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
4. मेघराज आ0 किशोर जाति धाकड निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
5. मनीषा पुत्री स्व0 सत्यनारायण जाति धाकड निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
6. राधाकिशन पुत्र किशोर जाति धाकड निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
7. शिवराज पुत्र किशोर जाति धाकड निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
8. कालूलाल पुत्र ओंकार जाति कीर निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
9. राजेन्द्र पुत्र गिर्राज जाति कीर निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
10. पंसुरी बाई जाति कीर निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
11. खुशीराम नाबालिग जर्ये संरक्षिका माता पंसुरी बाई जाति कीर निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
13. ग्राम पंचायत घाट का बराना जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
14. सचिव ग्राम पंचायत बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 29.01.2026

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 254 रकबा 0.10 हैक्टर, ख0सं0 225 रकबा 0.28 हैक्टर, ख0सं0 280 रकबा 0.51, ख0सं0 282 रकबा 0.40 हैक्टर, ख0सं0 312 रकबा 0.12 हैक्टर, ख0सं0 313 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0सं0 314

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

0.86 हैक्टर, ख0सं0 315/1 रकबा 0.40 हैक्टर, ख0सं0 316 रकबा 0.11 हैक्टर, ख0सं0 317 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0सं0 318 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 11 योग रकबा .98 हैक्टर वाके ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे स्थित है। ख0सं0 254 रकबा 0.10 हैक्टर कृषि भूमि के पूर्वी ओर ख0सं0 283/820 है जो राजस्व रिकार्ड में काली बाई, नन्दलाल, रोशन बाई के खाते में दर्ज परन्तु उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 9,10,11 के पास है इसी प्रकार ख0सं0 282 रकबा 0.40 हैक्टर के पश्चिमी ओर ख0सं0 283 है जो राजस्व रिकार्ड में गीताबाई, छीताबाई, दिलबर, शान्तिबाई के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है प्रार्थी की कुछ भूमि पर उक्त अप्रार्थीगण ने अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे प्रार्थी की भूमि सिकुड गयी है जितनी भूमि प्रार्थी के खाते में है उतनी मौके पर नही है। वाद वर्णित प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि है पडौसी काश्तकार अतिक्रमण कर सीमाओ को मिटाना चाहते है। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि के सीमांकन के संबंध मे कोई विवाद उत्पन्न न हो तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि का रकबा सुरक्षित रहे इस कारण से प्रार्थी पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण 1,3,4 लगायत 8, 10,11 की तरफ से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 2,9,12 लगायत 14 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने से 30.04.2024 को उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। अप्रार्थी संख्या 1,3,4 लगायत 8, 10,11 की तरफ से जवाब पेश करने हेतु काफी अवसर दिए गए। अप्रार्थीगण 1,3,4 लगायत 8, 10,11 की तरफ से प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम– 11 व घ व धारा 141, 151 जा0दी0 व धारा 109 पंचायती राज अधिनियम दिनांक 06.02.2025 को पेश किया जिस पर दिनांक 17.06.2025 को बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम– 11 व घ व धारा 141, 151 जा0दी0 व धारा 109 पंचायती राज अधिनियम सार हीन होने से खारिज किया गया तत्पश्चात अप्रार्थीगण को काफी समय दिए जाने के पश्चात भी जवाब प्रार्थना पेश नही किया गया सीधी बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी कृषि भूमि के सीमांकन हेतु भविष्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो कृषि भूमि का रकबा सुरक्षित रहे व अन्य पडौसी काश्तकारो की दखलदांजी होने से विवाद नही बढने हेतु पत्थरगढी करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है प्रार्थी द्वारा अन्य किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थना पत्र में भूमिधारी तहसीलदार को भी पक्षकार बनाया गया है भूमिधारी तहसीलदार की तरफ से कोई जवाब पेश नही किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर भविष्य में कृषि सीमांकन संबन्धी विवाद उत्पन्न न हो को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111,128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 254 रकबा 0.10 हैक्टर, ख0सं0 225 रकबा 0.28

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

..., ख0सं0 280 रकबा 0.51, ख0सं0 282 रकबा 0.40 हैक्टर, ख0सं0 312 रकबा 0.12 ...टर, ख0सं0 313 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0सं0 314 रकबा 0.86 हैक्टर, ख0सं0 315/1 ...कबा 0.40 हैक्टर, ख0सं0 316 रकबा 0.11 हैक्टर, ख0सं0 317 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0सं0 318 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 11 योग रकबा 2.98 हैक्टर वाके ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि का प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकारो को तलबकर मौके पर प्रार्थी की आराजी का सीमाकंन बन्दोबस्त नक्शे अनुसार सीमाए चिन्हित कर पत्थरगढी करवाई जावें। आराजी के सीमाकंन व पत्थरगढी कायम करने में होने वाले खर्चे को स्वंय प्रार्थी खातेदार कृषक वहन करेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)